समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 23 September 2026

कोटेपाड़ा जंगल हत्याकांड का खुलासा, 24 घंटे मे आरोपी फंटुस लागुरी गिरफ्तार

Chandan Kumar

Published on 18 Jun 2026

जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कोटेपाड़ा जंगल स्थित सुखदेवलांगर नाला से बरामद युवक के शव मामले का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। हत्या के आरोपी **फंटुस लागुरी** को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार, 15 जून 2026 को कोटेपाड़ा ग्राम मुंडा ने सूचना दी थी कि सुखदेवलांगर नाला में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा है, जिससे दुर्गंध आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, चाईबासा भेज दिया।

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में शव की पहचान कराने का प्रयास किया। देर शाम मृतक की पहचान **मुकेश बारजो (20 वर्ष)**, पिता स्वर्गीय प्रीतम बारजो, निवासी छोटा महुलडीहा, थाना जगन्नाथपुर, जिला पश्चिमी सिंहभूम के रूप में हुई।

मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि गांव के ही रहने वाले **फंटुस लागुरी** के साथ मुकेश का कुछ दिन पहले विवाद हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

मृतक की पत्नी **बुधनी गोप बारजो (19 वर्ष)** के लिखित आवेदन पर जगन्नाथपुर थाना कांड संख्या **33/2026** दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा **103(1)** एवं **238** के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) जगन्नाथपुर के नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। तकनीकी शाखा की सहायता से पुलिस ने 16 जून 2026 को आरोपी **फंटुस लागुरी (35 वर्ष)**, पिता स्वर्गीय सुबेदार लागुरी, निवासी छोटा महुलडीहा, थाना जगन्नाथपुर को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

छापामारी दल में शामिल अधिकारी

इस कार्रवाई में एसडीपीओ जगन्नाथपुर **रफायल मुर्मू**, पुलिस निरीक्षक नोवामुंडी अंचल **बासुदेव मुंडा**, थाना प्रभारी **टिंकू कुमार दास**, पुलिस पदाधिकारी **विश्वनाथ हेब्रंम**, **मनमथो प्रधान**, तकनीकी शाखा चाईबासा के **अभय कुमार** तथा जगन्नाथपुर थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Chandan Kumar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.